

क्रमांक :- एफ( ) FCA/उवसंजउ / 2020-21 / 4323  
निमित्त,

दिनांक 6/4/21

Vishnu Kumar Agarwal,  
D-46-B, Malviya Marg, C-Scheme,  
Jaipur302001

विषय :- जयपुर जिले की तहसील कोटपूतली के ग्राम- दूदावास व बूचारा (वन खण्ड गावडी -68) में क्वार्टर  
एवं फैंसपार खनन कार्य हेतु 32.5417 हैक्टर वन भूमि के अनारक्षण के क्रम में।  
सन्दर्भ :- आपके पत्रांक दिनांक 20.03.2021 के क्रम में।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित प्रस्ताव के क्रम में लेख है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFWCP पर प्रस्ताव सं- FP/RJ/MIN/7942/2014 को रजिस्टर कर फार्म A Online प्रस्तुत करने के साथ-साथ उक्त प्रस्ताव के 6 सेट हार्डकॉपी में इस कार्यालय में जमा कराये गये थे। जिनका निरिक्षण करने के उपरान्त प्रस्ताव में पायी गयी कमियों का उल्लेख करते हुये इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ( ) FCA/उवसंजउ / 2019-20 / 844 दिनांक 31.01.2020 द्वारा लिखकर ऑन लाईन EDS (6.2.2020) को किया गया था। जिसके क्रम में आपके द्वारा पत्रांक दिनांक 27.07.2020 के द्वारा हार्डकॉपी जमा करवाई गई थी। उक्त जमा कराये गये प्रकरण में भी और कमियां पायी गयी थी। जिनको इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ( ) FCA/उवसंजउ / 2020-21 / 1403 दिनांक 17.02.2021 के द्वारा आप (यूजर एजेन्सी) को अवगत करा दिया गया था। जिसके क्रम में आपने दिनांक 17.03.2021 को ऑन लाईन EDS करते हुये पत्रांक दिनांक 20.03.2021 के द्वारा हार्ड कॉपी द्वारा प्रत्युतर इस कार्यालय में भिजवाया गया है। किन्तु उक्त जमा कराये गये प्रस्ताव में इस कार्यालय द्वारा लगाये गये निम्नलिखित आक्षेपों की बिन्दुवार पूर्ति अब भी अपेक्षनीय है। अतः इनका स्पष्ट प्रत्युतर पुनः भिजवाना सुनिश्चित करें:-

1. आप द्वारा जमा कराई गयी पत्रावली में साईट प्लान मैप (Plan showing the demarcated retained area of ML. 1/1996 for mineral Quartz & Falsper, near village Dudawash Teh.- Neem Ka Thana Dist.- Sikar) Page No.-15 स्पष्ट नहीं हैं।
2. आप द्वारा जमा कराई गयी पत्रावली अनुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध करवाने का शपथ पत्र लगाया गया है, जबकि वन भूमि से लगती हुई समतुल्य गैर वन भूमि का आवंटन वन विभाग के नाम करवाने की कार्यवाही करवाकर उसका राजस्व नक्शा, जमाबंदी, जी0 टी0 शीट पर मार्क नक्शा, डिजिटल नक्शा, उसकी के0एम0एल0 फाईल व जी0पी0एस0 कॉडिनेट इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत करें, ताकि उसकी क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के प्रस्ताव व LAND SUITABILITY CERTIFICATE बनाये जा सकें।
3. आपके पत्रांक दिनांक 20.03.2021 के अनुसार मौके पर प्रस्तावित स्थल का सीमा चिन्हों (पिलर्स) द्वारा सीमांकन कर दिया गया है, अतः उनका फोटोग्राफ मय जी0पी0एस0 कॉडिनेट के संलग्न किया जावें, ताकि मौका निरिक्षण/सत्यापन किया जा सकें।
4. प्रस्ताव में संलग्न विभिन्न दस्तावेजों/नक्शों पर हस्ताक्षर एवं हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी (खनि विभाग) का नाम, पद व दिनांक अभी भी अंकित नहीं हैं।
5. प्रस्ताव के साथ संलग्न डिजिटल मैप पर खसरा मैप एक ही शीट (इकजाई शीट) पर सुपर इम्पोज कर जी0पी0एस0 कॉडिनेट अंकित नहीं किये गये हैं।
6. प्रस्तावित खनन क्षेत्र को इकजाई खसरा शीट पर मार्क किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त पत्र में वर्णित बिन्दुओं की पूर्ति कर प्रस्ताव पुनः ऑन लाईन प्रेषित करावें, ताकि प्रकरण में आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

संलग्न :- पत्रावली किता-


  
उप वन संरक्षक  
जयपुर (उत्तर)

दिनांक

क्रमांक :- एफ( ) FCA/उवसंजउ / 2020-21 /

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।

  
उप वन संरक्षक  
जयपुर (उत्तर)